मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 (कार्तिक 17, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील के ग्रामों में कुपोषण से आदिवासियों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के पुलिस कर्मियों द्वारा कुरवाई एवं मंडीबामौरा के बीच स्थित एक ढाबे के मालिक को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पीलूखेड़ी एवं गीलाखेड़ी में पेयजल का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के जवासा बोरदियाकला मार्ग के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण में अनियमितता होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 23 जुलाई, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्रमांक 1417) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 23 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र भारती (दतिया), लक्ष्मीकांत शर्मा, कुंवर विजय शाह, सर्वश्री रसाल सिंह, हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों से सिंचाई के समय का ही विद्युत भुगतान लिया जाय एवं सिंचाई के समय के अतिरिक्त समय का भुगतान नहीं लिया जावे."

(2) श्री मुंशीलाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों की बंद नलजल योजनाओं को 30 जून, 2003 तक संबंधित विभाग द्वारा संधारण कर चालू किया जावे."

(3) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इटावा-गुना रेल लाईन को ब्यावरा होते हुए भोपाल से जोड़ा जावे."

डॉ. ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 नवम्बर, 2002